चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 25.03.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 25.03.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में रमजान पर्व को सकुशल संपन्न कराने के दृष्टिगत एवं शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चित्रकूट पुलिस के थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सड़क पर हो रहे अतिक्रमण, शराब की दुकान, रेलवे स्टेशनों,होटल/ढाबो, 02/04 पहिया वाहन एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी।

(3). आज दिनांक 25.03.2025 को उत्तर प्रदेश सरकार के **सेवा, सुरक्षा व सुशासन की नीति के अंतर्गत पिछले 8 वर्षों में** होने वाले महत्वपूर्ण कार्यों व कल्याणकारी परियोजनाओं के सम्बन्ध में जिला अध्यक्ष भाजपा श्री महेन्द्र कोटार्य,पूर्व राज्य मंत्री श्री चन्द्रिका प्रसाद उपाध्याय,पूर्व सांसद चित्रकूट श्री भैरो प्रसाद मिश्र,कोआपरेटिव अध्यक्ष चित्रकूट धाम मंडल बांदा श्री पंकज अग्रवाल व जिलाधिकारी चित्रकूट श्री शिवशरणप्पा जीएन,पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह,मुख्य विकास अधिकारी श्रीमती अमृता पाल कौर की उपस्थिति में त्रिदिवसीय दिनाँक 25,26,27 मेला कार्यक्रम ऑडिटोरियम भवन सोनेपुर चित्रकूट में उद्घाटन किया गया। इस दौरान यातायात पुलिस द्वारा डेसिबल मीटर (ध्वनि मापक यंत्र),पी0ओ0एस0 मशीन,दो पहिया इण्टर सेक्टर (स्पीड रडार गन), हेलमेट सहित सभी उपकरणों की प्रदर्शनी की गयी। मेले में उपस्थित लोगों को वाहन चलाते समय शराब का सेवन, मोबाइल का प्रयोग नही करने तथा चार पहिया वाहन व दो पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट एवं हेलमेट का सदैव प्रयोग करने हेतु अपील किया गया।

महिला आरक्षी स्वाती पाण्डेय द्वारा महिला सशक्तिकरण के दृष्टिगत महिला हेल्पलाइन नंबर 1090, चाइल्ड केयर हेल्पलाइन नंबर 1098, गर्भवती महिलाओं एवं अन्य स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 108 एंबुलेंस नंबर,साइबर हेल्प लाइन नं0 1930 एवं महिला संबंधी कार्यक्रम कन्या सुमंगला योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री विवाह अनुदान योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना एवं अन्य जनकल्याण कारी योजनाओ के सम्बन्ध में बताया गया साथ ही साथ उ0नि0 श्री आशुतोष कुमार सिंह,आरक्षी शिवा सिंह,आरक्षी अशोक पाल,महिला आरक्षी अकांक्षा पाण्डेय द्वारा यूपी डायल 112 के सम्बन्ध में मेले में आये हुए लोगों को विधिवत जागरूक किया गया।

(4).आज दिनांक 25.03.2025 को उत्तर प्रदेश सरकार के सेवा, सुरक्षा व सुशासन की नीति के अंतर्गत साइबर सेल टीम निरीक्षक श्री निशिकान्त राय,आरक्षी प्रशान्त कुमार,सर्वेश कुमार,आरक्षी शिवम,महिला आरक्षी नरगिस,महिला आरक्षी शशि द्वारा अशोक पब्लिक स्कूल,खोह चित्रकूट में साइबर जागरुकता कार्यक्रम व महिला सशक्तिकरण का आयोजन किया गया। जिसमें सभी छात्र/छात्राओं को *क्या न करें-* 1.किसी भी अनजान व्यक्ति को अपना अकाउंट विवरण व एटीएम कार्ड नम्बर व पिन नम्बर सी0वी0वी0 तथा ओटीवी नम्बर,एस0एम0एस0 न बताये। 2.एटीएम हमेशा अकेले प्रयोग करने किसी अनजान व्यक्ति की मदद न लें। 3.अपनी व्यक्तिगत जानकारी किसी अनजान व्यक्ति को फोन,ई-मेल,एस0एम0एस0 फेसबुक,व्हाट्सएप पर कभी न दें। 4.आधार कार्ड,पैन कार्ड,राशन कार्ड,नयी सिम लेने के लिए कई बार फिंगर स्कैन न करें। 5.बोनस प्वाइंट,रिवार्ड प्वाइंट,कैशबैक,के0बी0सी0 आदि लुभावने ऑफर के लालच में अपना बैंक डिटेल फोन पर शेयर न करें। 6.किसी प्रकार का रिमोट एप्स जैसे टीमविवर,ऐनी डेक्स आदि किसी के कहने पर मोबाइल में इनस्टॉल न करें। 7. कम समय में पैसा डबल करने,क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कर ज्यादा रिटर्न मिलने जैसे लुभावने स्कीम के लालच में न आयें। 8. फेसबुक,इस्टाग्राम,ब्लॉग,ट्विटर चैट रूम आदि जैसे किसी भी ऑनलाइन प्लेटफार्म सोशल नेटवर्किंग साइटस पर अपनी निजी जानकारी जैसे घर का पता,फोन नम्बर,जन्मतिथि और जन्म स्थान आदि तथा वर्तमान लोकेशन कभी भी शेयर न करें। 9. पुलिस/साइबर अधिकारी के नाम की काल आने पर आपके बच्चे के द्वारा बलात्कार,किडनैपिंग का केस बता कर या आपके द्वारा पोर्न विडियों देखने का आरोप लगाकर आपसे पैसे की मांग की जाये तो बिलकुल न घबराये, और न ही कोई पैसे भेजें। 10.साइबर अपराध की घटना होने पर टोल फ्री नं0 1930 पर तुरन्त कॉल करें। इसके पश्चात नजदीकी पुलिस स्टेशन और www.cybercrime.gov.in पर भी रिपोर्ट करने हेतु बताया गया।

महिला उ0नि0 श्रीमती गीता सिंह व महिला आरक्षी शबनाज द्वारा महिला हेल्पलाइन नंबर 1090, चाइल्ड केयर हेल्पलाइन नंबर 1098, गर्भवती महिलाओं एवं अन्य स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 108 एंबुलेंस नंबर,साइबर हेल्प लाइन

नं0 1930 एवं महिला संबंधी कार्यक्रम कन्या सुमंगला योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री विवाह अनुदान योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना एवं अन्य जनकल्याण कारी परियोजनाओ के सम्बन्ध में बताया गया।

(5). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री दुर्गविजय सिंह एवं पैरोकार आरक्षी सुजीत कुमार द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायाधीश ग्राम न्यायालय मानिकपुर सुश्री खुशबू चन्द्रा द्वारा आज दिनाँक 25.03.2025 को थाना मानिकपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 67/2024 धारा 13 जुआ अधिनियम के आरोपी अभियुक्त विक्रम कुमार पुत्र पप्पूराम निवासी कृष्णदत्तपुर थाना राजातालाब जिला वाराणसी हाल पता शास्त्री नगर कस्बा व थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 200/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

(6). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में थानाध्यक्ष बरगढ़ श्री पंकज तिवारी एवं पैरोकार आरक्षी हरेंद्र कुमार द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायाधीश ग्राम न्यायालय मानिकपुर सुश्री खुशबू चन्द्रा द्वारा आज दिनाँक 25.03.2025 को थाना बरगढ़ में पंजीकृत मु0अ0सं0 33/2024 धारा 13 जुआ अधिनियम के आरोपी 1.सुंदरलाल पुत्र सत्यनारायण 2.मोहम्मद इकबाल पुत्र याकूब 3. इसरार पुत्र राऊफ खान 4. राजू द्विवेदी पुत्र बेनी प्रसाद निवासीगण कस्बा व थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट को 100/-100/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

(7). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन एवं मिशन शक्ति अभियान के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक रैपुरा श्री श्याम प्रताप पटेल एवं पैरोकार आरक्षी रवि प्रकाश तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी श्री विनोद कुमार शुक्ला एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अपर जिला शासकीय अधिवक्ता विशेष पॉक्सो एक्ट चित्रकूट श्री तेज प्रताप सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट श्रीमती रेनू मिश्रा द्वारा आज दिनाँक 25.03.2025 को पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना रैपुरा में पंजीकृत मु0अ0सं0 118/2019 धारा 376,366,363 भादवि0 व 4 पोक्सो एक्ट के आरोपी अभियुक्त महेश चमार पुत्र देवमुनि निवासी उन्यायक्वा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 08 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना का विवरणः-

दिनाँक 26.09.2019 को एक वादी द्वारा थाना रैपुरा पर सूचना दी कि अभियुक्त महेश चमार पुत्र देवमुनि निवासी उन्नायक्का थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट द्वारा उनकी नाबालिक पुत्री को भागकर दुष्कर्म करने तथा दुष्कर्म करने की सूचना पर थाना पहाड़ी पर मु0अ0सं0 118/2019 धारा 376,363,366 भादवि0 व 04 पॉस्को एक्ट पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना तत्कालीन उ0नि0 कृपाशंकर मिश्रा द्वारा सम्पादित की गयी। दिनाँक 03.03.2020 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट

श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में थानाध्यक्ष राजापुर श्री प्रवीण सिंह एवं पैरोकार मुख्य आरक्षी बृजबिहारी व प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री विनोद कुमार शुक्ला व उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री एस0के यादव द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय एस0सी0/एस0टी0 श्री राजमणि पाठक द्वारा आज दिनाँक 25.03.2025 को पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना राजापुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 164/2015 धारा 302/34 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त 1. रामहित यादव पुत्र राजाराम 2. तुलसा देवी पत्नी रामहित यादव निवासीगण मिरजा हकीमपुर थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को आजीवन कारावास व 10-10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

संक्षिप्त विवरण-

उल्लेखनीय है कि दिनांक 29.08.2015 को वादी ननका पुत्र पतीवा निवासी तीरमऊ द्वारा थाना राजापुर पर सूचना दी कि अभियुक्तगणों द्वारा उसके लड़के नानभईया को धारदार हथियार मारकर हत्या कर दी।घटना के सम्बन्ध में थाना राजापुर में मु0अ0सं0 164/015 धारा 302/34 पंजीकृत किया गयाजिसकी विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री सत्यवीर सिंह द्वारा विवेचना सम्पादित की गयी। दिनाँक 31.08.015 को अभियुक्त रामहित उपरोक्त को एवं दिनाँक 05.09.015 को तुलसा देवी उपरोक्त को गिरफ्तार कर दिनाँक 15.10.015 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया

(8). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन एवं मिशन शक्ति अभियान के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक रैपुरा श्री श्याम प्रताप पटेल एवं पैरोकार आरक्षी रवि प्रकाश तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी श्री विनोद कुमार शुक्ला एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अपर जिला शासकीय अधिवक्ता विशेष पॉक्सो एक्ट चित्रकूट श्री तेज प्रताप सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट श्रीमती रेनू मिश्रा द्वारा आज दिनाँक 25.03.2025 को पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना रैपुरा में पंजीकृत मु0अ0सं0 118/2019 धारा 376,366,363 भादवि0 व 4 पोक्सो एक्ट के आरोपी अभियुक्त महेश चमार पुत्र देवमुनि निवासी उन्यायक्वा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 08 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना का विवरणः-

दिनाँक 26.09.2019 को एक वादी द्वारा थाना रैपुरा पर सूचना दी कि अभियुक्त महेश चमार पुत्र देवमुनि निवासी उन्नायक्का थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट द्वारा उनकी नाबालिक पुत्री को भागकर दुष्कर्म करने तथा दुष्कर्म करने की सूचना पर थाना पहाड़ी पर मु0अ0सं0 118/2019 धारा 376,363,366 भादवि0 व 04 पॉस्को एक्ट पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना तत्कालीन उ0नि0 कृपाशंकर मिश्रा द्वारा सम्पादित की गयी। दिनाँक 03.03.2020 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।

(9). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह सिंह एवं पैरोकार आरक्षी प्रशान्त कुमार व प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री विनोद कुमार शुक्ला व उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक शासकीय अधिवक्ता श्री अजय कुमार सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस

के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम चित्रकूट श्री अनुराग कुरील द्वारा आज दिनाँक 25.03.2025 को पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 338/2006 धारा 302/34 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त राजेन्द्र यादव पुत्र शिवकरन उर्फ बाबू यादव निवासी गोबरिया कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को आजीवन कारावास व 25 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
संक्षिप्त विवरण-
उल्लेखनीय है कि दिनांक 02.10.2006 को वादी विजयकान्त द्विवेदी पुत्र रामसहाय निवासी गोबरिया बुजुर्ग कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट द्वारा कोतवाली कर्वी पर सूचना दी कि अभियुक्त द्वारा कुल्हाड़ी और गोली मारकर रामनिधान की हत्या कर दी। सूचना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 338/2006 धारा 302/34 भादवि0 पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना तत्कालीन निरीक्षक श्री चन्द्रधर गौड़ द्वारा सम्पादित की गयी। आरोपी को दिनाँक 27.10.06 को गिरफ्तार कर दिनाँक 14.02.09 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।

(10). आज दिनांक 25.03.2025 को उत्तर प्रदेश सरकार के सेवा, सुरक्षा व सुशासन की नीति के अंतर्गत पिछले 8 वर्षों में होने वाले महत्वपूर्ण कार्यों व कल्याणकारी परियोजनाओं के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी की उपस्थिति में कर्वी शहर के धनुष चौराहे पर एलईडी स्क्रीन के माध्यम से शासन की उपलब्धियां,उत्तर प्रदेश पुलिस बल द्वारा किए गए सराहनीय कार्य को लोगों के बीच दिखा कर प्रचार प्रसार किया गया और जागरुक किया गया।

(11). आज दिनांक 25.03.2025 को उत्तर प्रदेश सरकार के *सेवा, सुरक्षा व सुशासन की नीति के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह,अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी की उपस्थिति में कर्वी शहर के धनुष चौराहे से पुरानी कोतवाली तक मिशन शक्ति,फायर सर्विस,यातायात,डायल 112 एवं कोतवाली कर्वी पुलिस टीम द्वारा फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च के दौरान आमजनमानस को जागरुक करते हुए बताया गया कि सबल नारी-प्रगति हममहिलाओं/बालिकाओं को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के अलावा जागरुकता हेतु चलाए जा रहे अभियानों के बारे में सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा आम जनमानस को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई।
इस दौरान क्षेत्राधिकारी नगर श्री राज कमल,क्षेत्राधिकारी श्री फहद अली,प्रतिसार निरीक्षक श्री शिवनारायण,पीआरओ श्री प्रवीण कुमार सिंह एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहें।

(12). आज दिनांक 25.03.2025 को उत्तर प्रदेश सरकार के सेवा, सुरक्षा व सुशासन की नीति के अंतर्गत पिछले 8 वर्षों में होने वाले महत्वपूर्ण कार्यों एवं कल्याणकारी परियोजनाओं के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह,अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी की उपस्थिति में कर्वी शहर के धनुष चौराहे पर जगद्गुरु श्री रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय के छात्र/छात्राओं द्वारा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को यातायात नियमों/साइबरअपराध के प्रति जागरुक किया गया। नुक्कड नाटक के माध्यम से उपस्थित लोगों को वाहन चलाते समय शराब का सेवन, मोबाइल का प्रयोग नही करने तथा चार पहिया वाहन व दो पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट एवं हेलमेट का सदैव प्रयोग करने हेतु अपील की गयी।